

डिक्री व मुकदमें ईक्टदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 74/2025

विनोद कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति विश्नोई निवासी 11 पीटीपी किशनपुरा उत्तराधा  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्री वीरवलराम
2. रामकुमारी पत्नी श्री लालचन्द
3. पुनम पुत्री श्री लालचन्द
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

समस्त जाति विश्नोई निवासीयान चक 11 पीटीपी  
किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते  
इस किस्माल कतई रुबरु हमारे वहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई  
श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म  
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 11 पीटीपी के खाता संख्या 75/25  
जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 एव चक 11 पीटीपी के खाता संख्या 77/60 जमाबन्दी  
सम्वत 2071-2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी विनोद कुमार  
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये  
जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन  
आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- तहसीलदार राजस्व संगरिया को निदेशित किया जाता है कि आप मृतक  
शिवभगवान पुत्र लालचन्द के वारिसान की तस्दीक किया जाना सुनिश्चित  
करे यदि वाद पत्र में वर्णित के अलावा वारिसान पाये जाते है तो इस  
डिक्री का अमल दरामद न करें।

निज........नल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक........  
अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.4.2025 को जारी  
किया गया।

(जय कौशिक)

महायुक्त क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
संगरिया

